UPGK010080442026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 3431/2026,

1- सुबेदार पुत्र रामदरश,

2- केदार पुत्र रामदरश,

निवासीगण- ग्राम भस्मा, थाना- बेलीपार,

जनपद- गोरखपुर। आवेदकगण/अभियुक्तगण ,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी,

अपराध संख्या- 101/2026,

मुकदमा नम्बर- 110828/2026,

धारा- 191 (2),191 (3),190,109,115 (2),103 (1),3 (5) भारतीय न्याय संहिता,

थाना- बेलीपार, जनपद- गोरखपुर।

11.08.2026

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदकगण/अभियुक्तगण सुबेदार व केदार, जो अपराध संख्या- 101/2026, मुकदमा नम्बर- 110828/2026, धारा- 191 (2),191 (3),190,109,115 (2),103 (1),3 (5) भारतीय न्याय संहिता, थाना- बेलीपार, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 01.01.2026 को सांय 06:00 बजे के आस-पास छत के पानी गिरने के विवाद में सुबेदार, निक्की, केदार, रामसजन, रामाश्रय, ओमप्रकाश, शक्ति, रेखा, रामअशीष, गुड्डी, गौतम, महन्त, सहत, नन्हे, पंचम, खुश्बू, भोली, रामकृष, संदीप, प्रदीप, शनी, रीमा, रिन्की, श्रीराम, संजय, अजय, राजकपूर, सूर्यवाला, सुशीला, अंकिता, ज्योति, सरिता व महिमा तथा कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डा, पत्थर और चाकू लेकर प्रथम सूचनाकर्ता सविनय के परिवार के लोगो पर हमला कर दिया गया, जिसमे श्रृति, रजनीश व रोली को गम्भीर चोट आयी है, जिनको सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डाक्टर द्वारा श्रृति को मृत घोषित कर दिया गया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका/ अभियुक्ता सर्वथा निर्दोष एवम् निरपराध हैं। असत्य कथनों के आधार पर उसे इस मामले में

लिप्त किया गया है। मामले की प्राथमिकी अत्यधिक विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने में हुए विलम्ब का कोई संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की तरफ से इस प्रक्रम पर नहीं दिया गया है। प्राथमिकी में किसी भी स्वतन्त्र साक्षी को नामित नहीं किया गया है, जिनके द्वारा कथित घटना देखी गयी हो। घटना का हेतुक नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की कोई विनिर्दिष्ट भूमिका दर्शित नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई पूर्व आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदकगण/ अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर लाठी-डण्डा, पत्थर और चाकू से प्रहार कर श्रृति, रजनीश व रोली को गम्भीर उपहतियॉ कारित की गयी तथा आहत श्रृति को आयी उक्त उपहति के कारण मृत्यु हो गयी। आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गयी। कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव मामले की गम्भीरता एवम् आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण प्राथमिकी में नामित है। प्राथमिकी में आवेदकगण/ अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो के विरूद्ध एक राय होकर जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डा, पत्थर और चाकू लेकर प्रथम सूचनाकर्ता सविनय के परिवार के लोगो पर हमला करने, जिसमे श्रृति, रजनीश व रोली को गम्भीर चोट आना तथा श्रृति की मृत्यु हो जाने अभिकथन है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 180 के अन्तर्गत विवेचक को दिये गये कथन में प्रथम सूचनाकर्ता सविनय उर्फ आकाश के द्वारा कथित अपराध में आवेदकगण/अभियुक्तगण सहित अन्य सह-अभियुक्तों की विशिष्ट भूमिका एवम् भागिता के सम्बन्ध में विस्तृत कथन करते हुए कहा गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण व अन्य सह-अभियुक्तो द्वारा एक राय होकर जान से मारने की नीयत से लाठी-डण्डा, पत्थर व चाकू लेकर इसके परिवार के लोगो पर हमला कर दिया गया, जिसमे इसकी बहन श्रुति, भाई रजनीश व चचेरी बहन रोली को गम्भीर चोटे आयी थी, जिनको ईलाज हेतु सदर अस्पताल ले गये थे, जहॉ डाक्टर द्वारा श्रुति को मृत घोषित कर दिया गया तथा रजनीश व रोली का इलाज चल रहा है। उपरोक्त आशय का ही कथन साक्षीगण रीता देवी, रजनीश उर्फ विशाल व रोली द्वारा विवेचक के समक्ष किये

गये हैं। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त केदार की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया है।

अन्त्य परीक्षण आख्या शालिनी उर्फ श्रुति में चिकित्सक के द्वारा मृतका के शरीर पर 02 उपहतियॉ पायी गयी, जिनमे पहली उपहति कटा हुआ घाव, जिसका आकार 1.5 सेन्टीमीटर X 0.5 सेन्टीमीटर X हृदय के पास मौजूद था। चेस्ट कैविटी में 1.5 लीटर रक्त मौजूद था तथा दूसरी उपहति कटा हुआ घाव, जिसका आकार 5 सेन्टीमीटर X .5 सेन्टीमीटर X मांस तक गहरा दाहिने वांह के भीतरी भाग पर स्थित था। चिकित्सक के द्वारा मृतका के मृत्यु का कारण मृत्युपूर्व आयी चोटों के परिणामस्वरूप रक्तश्रावी सदमा होना बताया गया है। इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को प्रश्नगत घटना में मिथ्यारोपित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण व सह-अभियुक्तो के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य संकलित कर आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अतएव मामले के गुण-दोष पर अपनी कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदकगण/ अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण सुबेदार व केदार की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक/गोरखपुर
11 अगस्त, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.08.11 16:30:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court